न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा, जिला–डूँगरपुर।
पीठासीन अधिकारीः मनीष कुमार जोशी, (आर.जे.एस.)

दाण्डिक मूल प्र.सं.: 482/2017रे.फौ0(सी.आई.एस.482/17)

1.राजस्थान राज्य .....परिवादी

–: बनाम :–

01. नैनेश उर्फ पप्पु उर्फ चायना उर्फ सर्किट पिता चिमन भाई उर्फ सोमाजी मोडीया उम्र 21 वर्ष, निवासी दधालिया तखतपुरा पुलिस थाना मोडासा टाउन जिला अरवल्ली गुजरात
02. प्रहलाद भाई उर्फ भटला पिता राजेश भाई खराडी मीणा निवासी शान्तिपुरा पुलिस थाना मेघरेज जिला अरवल्ली गुजरात
03. धिरज भाई पिता सोमा भाई परमार मीणा निवासी भाटकोडा पुलिस थाना मेघरेज जिला अरवल्ली गुजरात
नोट– अभियुक्त सं. 02 व 03 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान शेष है।

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 392 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित –
1. विद्वान सहा. अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्रसिंह चौहान, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09.04.2019

01. इस प्रकरण में दिनांक 06.11.17 को थानाधिकारी, धम्बोला की ओर से अभियुक्त नैनेश उर्फ पप्पु उर्फ चायना उर्फ सर्किट के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 392 भा.दं.सं. में कम्पलीट चार्ज शीट व अभियुक्तगण प्रहलाद भाई उर्फ भटला पिता राजेश भाई खराडी मीणा निवासी शान्तिपुरा पुलिस थाना मेघरेज जिला अरवल्ली गुजरात व अभियुक्त धिरज भाई पिता सोमा भाई परमार मीणा निवासी भाटकोडा पुलिस थाना मेघरेज जिला अरवल्ली गुजरात के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 392 भा.द.सं. में अनकम्पलीट चार्जशीट अन्तर्गत धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान जारी रखते हुए पेश की गयी। जिस पर बाद कार्यालय जाँच एवं अवलोकन अभियुक्त नैनेश उर्फ पप्पु उर्फ चायना उर्फ सर्किट के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर,

प्रकरण दाण्डिक मूल रजिस्टर में दर्ज किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीयां पुष्पा यादव निवासी करावाडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 20.05.17 को ग्राम पंचायत करावाडा में बैठक थी। जिसमें वह गयी थी जिसके उपरान्त वापिस घर को लौटते समय 01.30 से 01.45 के बीच एक मोटरसाईकिल पल्सर बिना नम्बर की जिस पर दो युवक सवार थ। जिन्होंने उसके गले में पहनी साने की चेन जो कि 15 ग्राम की थी। बाईक के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने हाथ का झपट्टा मारकर चेन को झटके से तोडकर मोटरसाईकिल सवार गन्धवा पाल की तरफ भागे जिसकना बस स्टेण्ड पर उपस्थित लोगों ने पीछा किया मगर कोई पता नहीं चला। मोटरसाईकिल पर बैठे अज्ञात युवकों का हुलिया जो मोटरसाईकिल चला रहा था उसने काले कलर का पेन्ट और नीली कमीज पहनी हुई थी। मुंह पर रूमाल बांधा हुआ था और पीछे बैठे व्यक्ति के मुंह पर भी रूमाल बांधा हुआ था..... आदि।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थानाधिकारी धम्बोला द्वारा मुकदमा सं.137/2017 अन्तर्गत धारा 356 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान हेतु पुलिस अधिकारी शंकरसिंह एएसआई पुलिस थाना धम्बोला को दिया गया तथा बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्त नैनेश उर्फ पप्पु उर्फ चायना उर्फ सर्किट के विरूद्ध अपराध धारा 392 भा.द.सं. का जुर्म प्रमाणित मानते हुए व अभियुक्तगण प्रहलाद भाई उर्फ भटला व धिरज भाई के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 392 भा.द.सं. में अनकम्पलीट चार्जशीट अन्तर्गत धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान जारी रखते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त नैनेश उर्फ पप्पु उर्फ चायना उर्फ सर्किट के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत धारा– 392 भा.द.सं. सुनाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन समझकर आरोपों से इन्कार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने आरोपों के सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य के तौर पर साक्षी पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती पुष्पा देवी, पीडब्ल्यू 2 पोपटलाल, पीडब्ल्यू 3 मणीलाल, पीडब्ल्यू 4 सतीश , पीडब्ल्यू 5 महेश कुमार, पीडब्ल्यू 6 विनोद कुमार, पीडब्ल्यू 7 विरेन्द्रसिंह, पीडब्ल्यू 08 पप्पुराम, पीडब्ल्यू09 विजयपाल, पीडब्ल्यू 10 युवराज सिंह, पीडब्ल्यू11 प्रदीप सिंह, पीडब्ल्यू12 शंकर सिंह, पीडब्ल्यू 13 भंवरसिंह, पीडब्ल्यू 14 श्रीमती शान्ता बेन को प्रस्तुत किया तथा दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रपी–2 चाक एफआईआर, प्रपी03 निरीक्षण घटना स्थल, प्रपी–4 फर्द तस्दीक घटना स्थल, प्रपी–5 सतीश के 161 सीआरपीसी के बयान, प्रपी–6 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त नैनेश, प्रपी–7 लगायत 11 फर्द सूचना दफा 27 साक्ष्य अधिनियम, प्रपी 12 फर्द तस्दीक घटना स्थल, प्रपी13 फर्द जप्ती मोटरसाईकिल, प्रपी 14 फर्द तस्दीक घटना स्थल, प्रपी 15 मालखाना नकल, प्रपी 16 पुछताछ नोट, प्रपी 16 ग्राम पंचायत की तस्दीक आदि प्रस्तुत कराये।

5. उक्त अभियोजन साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्त को अन्तर्गत धारा–313 दण्ड

प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताकर स्वयं को निर्दोष होना कथित किया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया।

05. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप, अभियोजन साक्ष्य ने युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित किये है, अतएवं अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने कथित किया कि अभियोजन साक्षीगणों ने अभियुक्त के आरोपों को अपनी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगणों की साक्ष्य में परस्पर घोर विरोधाभास है। अभियुक्त निर्दोष है। अतएव अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावें।

06. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्न बिन्दु पर विचार करना है कि –

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.05.2017 को दोपहर 01.30–01.45 पीएम के करीब मौजा करावाडा में परिवादीयां पुष्पा को तात्कालिक सदोष अवरोध/उपहति के भय में डाल कर उसके गले में पहनी सोने की चेन 15 ग्राम को उसकी सहमति के बिना झपट्टा मारकर छीन कर लूट का अपराध कारित किया।
2. यदि हॉ तो उचित दण्ड किया होगा?

07. उक्त बिन्दु संख्या 1 के सम्बंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य को देखे तो पाते है कि प्रार्थीयां साक्षी पीडब्यलू01 पुष्पा देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया कि वह दिनांक 20.05.17 को करावाडा बैठक में गयी थी। जिसके बाद वह पैदल पैदल वापस घर जा रही ही कि समय 01.30–01.45 पीएम हाजिर अदालत मुलजिम जो मोटरसाईकिल के पीछे बैठा था व एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाईकिल चला रहा था, धीरे धीरे मोटरसाईकिल चलाते हुए उसके पास आये व पीछे बैठे हुए अर्थात् हाजिर अदालत मुलजिम ने उसके गले में पहनी सोने की चेन डेढ तोला हाथ से झपट्टा मारकर तोड ली एवं मोटरसाईकिल तेज गति से चलाकर गंधवा की तरफ भाग गए उनके पास पल्सर बिना नम्बर वाली गाडी थी। उसके चिल्लाने पर आस पास के लोगो ने मोटरसाईकिल से पीछा किया मगर हाथ में नहीं आया। उनके चेहरे पर थोडे बहुत मुंह पर रूमाल बंधा हुआ था तथा बाल खडे थे जो मुलजिम हाजिर अदालत है। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना धम्बोला में प्रपी01 है चाक एफआईआर प्रपी02 है पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था जो प्रपी03 है उक्त फर्दों पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथित किया कि हाजिर अदालत मुलजिम मोटरसाईकिल चला रहा था पीछे कोई और व्यक्ति बैठा था। चोरी हुई चेन बरामद नहीं हुई। जबकि प्रकरण में

गौरतलब है कि प्रार्थीया पुष्पा यादव द्वारा जो तहरीरी रिपोर्ट प्रपी01 दी थी उसमें वर्णित है कि मोटरसाईकिल पर बैठे अज्ञात युवको ने झपट्टा मारपकर उसकी चेन झटके से तोड दी। मोटसाईकिल पर दो व्यक्ति थे जिन्होंने मुंह पर रूमाल बांधा हुआ था। अर्थात् अभियुक्त को प्रार्थीयां द्वारा पहचाना नहीं गया था और ना ही प्रार्थीयां की अभियुक्त से कोई पूर्व पहचान थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को घटना से सम्बद्ध किये जाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य चेन का बरामद हो जाना है।

प्रकरण में स्वयं साक्षीयां पीडब्लयू 01 पुष्पा ने कथित किया है कि उसकी चेन बरामद नहीं हुई है। यह भी गौरतलब है कि रिपोर्ट में वाहन मोटरसाईकिल भी बिना नम्बर की होना वर्णित है।

08. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी साक्षी पीडब्ल्यू12 शंकरसिंह ने भी अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया कि दिनांक 20.05.17 को वह में पुलिस थाना धम्बोला में वह एएसआई के पद पर कार्यरत था। प्रार्थीयां द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर प्रकरण सं. 134/17 दर्ज कर अनुसंधान उसके द्वारा किया गया था। प्रकरण के सम्बंध में मुलजिम नैनेश को गिरफतार किया था तथा बाद पुछताफ मुलजिम से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त की जो प्रपी07 व 08 है तथा मुलजिम ने यह भी स्वेच्छापूर्वक सूचना दी थी कि उसने व उसके साथी द्वारा करावाडा गांव में रोड चलती महिला के गले में पहनी सोने की चेन जो उसके घर में पडी है बरामद करवा सकता है लेकिन मुलजिम द्वारा बताये स्थान पर पहुंचने पर मुलजिम नैनेश मुकर गया और सोने की चेन उसके दोस्त के पास होना बताया। साथ ही मुलजिम ने यह भी सूचना दी थी कि वक्त घटना वाली मोटरसाईकिल पल्सर प्रहलाद उर्फ भटिया के घर पर है जिसे वह बरामद करा सकता है तथा मुलजिम के बताये अनुसार मोटरसाईकिल को जरिये प्रपी13 जप्त किया गया तथा उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथित किया कि चोरी हुई चेन मुलजिम नैनेश से बरामद नहीं हुई है।

09. इसी क्रम में साक्षी पीडब्ल्यू 07 विरेन्द्रसिंह ने भी मुख्य परीक्षण में कथित किया कि मुलजिम नैनेश ने अधिनियम साक्ष्य धारा 27 में पृथक–पृथक सूचनाएं उसके व युवराज सिंह के उपस्थिति में दी थी तथा मुलजिम नैनेश द्वारा मुताबिक सुचना घ टना स्थल करावाडा की तस्दीक की थी तथा मुलजिम की इत्तला से मोटरसाईकिल पल्सर बिना नम्बर की जप्त की थी। फर्द सूचनाएं धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रपी07 से 11 है। फर्द तस्दीक घटना स्थल मकान प्रपी12 है फर्द जप्ति मोटरसाईकिल प्रपी13 है।

उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथित किया कि मुलजिम से मोटसारईकिल के अलावा अन्य कोई चीज बरामद नहीं हुई थी।

इसी प्रकार साक्षी पीडब्ल्यू 08 पप्पुराम ने भी कथित किया है कि मुलजिम नैनेश उर्फ पप्पु द्वारा मुताबिक ईत्तला प्रपी10 अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, आगे चलकर घटना स्थल की तस्दीक करवायी थी।

इसी प्रकार साक्षी पीडब्यलू09 विजयपाल द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में कथित किया कि उक्त मोटरसाईकिल नैनेश के घर से बरामद नहीं की थी बल्कि नैनेश के साथी के घर से बरामद हुई थी।

साक्षी पीडब्यलू10 युवराज सिंह द्वारा भी कथित किया कि मुलजिम नैनेश को जरिये प्रपी06 से गिरफ्तार किया था एवं जैर हिरासत मुलजिम नैनेश ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रपी07 व 08 अनुसंधान अधिकारी को उसके सामने दी थी।

इसी प्रकार साक्षी पीडब्लयू 02 पोपटलाल द्वारा भी कथित किया कि पुष्पा द्वारा रिपोर्ट देने के बाद पुलिस मौके पर आयी थी। नक्शा मौका उसके सामने बनाया था जो प्रपी03 है। जो घटना स्थल करावाडा बस स्टेशन का है तथा दिनांक 20.08.17 को पुलिस को हाजिर अदालत मुलजिम ने घटना स्थल की तस्दीक करायी थी जो फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रपी04 है।

10. इस प्रकार पत्रावली पर आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रार्थीयां द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कथित किया कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आये थे और उन्होंने उसकी सोने की चेन गले में से तोडकर लेकर भाग गये। परन्तु तहरीरी रिपोर्ट अज्ञात मुलजिमानों के विरूद्ध थी। यद्यपि साक्षीयां पीडब्ल्यू 01 पुष्पा देवी द्वारा हाजिर अदालत मुलजिम नैनेश द्वारा घटना कारित करने का उल्लेख किया है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि जब एक ओर तो प्रार्थीयां द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह कथित किया कि मुलजिमानों द्वारा मुंह पर रूमाल बांधा हुआ था तो प्रार्थीयां द्वारा मुलजिम की न्यायालय में किस प्रकार पहचान की गयी। इस प्रकार प्रार्थीयां द्वारा न्यायालय में अभियुक्त नैनेश को पहचानने की साक्ष्य अत्यन्त कमजोर प्रकृति की है तथा एकमात्र इसी पहचान पर न्यायालय द्वारा निर्भर होना न्यायोचित नहीं कहां जा सकता।

अब अभियुक्त को घटना में लिप्त होने के लिये न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त से ऐसे किसी लुटे गये माल की (प्रार्थीयां की सोने की चेन)

बरामदगी हुई है तो इस सम्बंध में गौरतलब है कि स्वयं प्रार्थीयां पीडब्ल्यू01 पुष्पा देवी द्वारा कथित किया गया कि उसकी सोने की चेन बरामद नहीं हुई है। इसी प्रकार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी साक्षी पीडब्ल्यू 12 शंकरसिंह द्वारा भी कथित किया कि अभियुक्त से सोने की चेन बरामद नहीं हुई थी। अर्थात् बरामदगी के आधार पर भी अभियुक्त को घटना में लिप्त नहीं माना जा सकता।

11. जहां तक अभियुक्त द्वारा दी गयी इत्तला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रपी08 जिसमें अभियुक्त ने यह कथित किया कि अभियुक्त वह स्थान चलकर बता सकता है जहां पर उसने व उसके साथी द्वारा डूंगरपुर से सीमलवाडा रोड पर करावाडा में चलती हुई औरत के गले से चेन तोडी थी। उक्त इत्तला के आधार पर फर्द तस्दीक घटना स्थल बनाया था जो प्रपी04 है। परन्तु इस सम्बंध में गौरतलब है कि घटना स्थल के सम्बंध में तो स्वयं प्रार्थीयां द्वारा ही अपनी रिपोर्ट में वर्णित कर दिया था तथा दिनांक 20.05.17 को ही प्रार्थीयां की निशादेही से नक्शा मौका प्रपी03 बनाया जा चुका था। अर्थात् घटना स्थल की जानकारी का तथ्य तो अनुसंधान अधिकारी के ज्ञान में पूर्व से ही था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त नैनेश से प्राप्त सुचना अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रपी08 का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। अर्थात् इस इत्तला के आधार पर भी अभियुक्त नैनेश को घटना से सम्बद्ध होना नहीं माना जा सकता हैं।

12. जहां तक अभियुक्त की इत्तला से मोटरसाईकिल पल्सर के जप्त किये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बंध में भी गौरतलब है कि उक्त मोटरसाईकिल अन्य सह अभियुक्त प्रहलाद उर्फ भटला के मकान से बरामद हुई थी। जिसके सम्बंध में अभी भी अनुसंधान अन्तर्गत धार 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता शेष है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की इत्तला से मोटरसाईकिल जप्त किये जाने मात्र के आधार पर भी अभियुक्त को घटना से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है।

13. अतएव समग्र साक्ष्य के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि अभियुक्त नैनेश उर्फ पप्पु उर्फ चायना उर्फ सर्किट ने दिनांक 25.05.2017 को दोपहर 01.30–01.45 पीएम के करीब मौजा करावाडा में परिवादीयां पुष्पा को तात्कालिक सदोष अवरोध/उपहति के भय में डाल कर उसके गले में पहनी सोने की चेन 15 ग्राम को उसकी सहमति के बिना झपट्टा मारकर छीन कर लूट का अपराध कारित किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त नैनेश उर्फ पप्पु उर्फ चायना उर्फ सर्किट को आरोपित अपराध धारा 392 भारतीय दंण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

14. अतः अभियुक्त नैनेश उर्फ पप्पु उर्फ चायना उर्फ सर्किट पिता चिमन भाई उर्फ सोमाजी मोडीया उम्र 21 वर्ष, निवासी दधालिया तखतपुरा पुलिस थाना मोडासा टाउन जिला अरवल्ली गुजरात को अपराध अन्तर्गत धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। उक्त अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। पत्रावली में अभियुक्तगण प्रहलाद भाई उर्फ भटला पिता राजेश भाई खराडी मीणा निवासी शान्तिपुरा पुलिस थाना मेघरेज जिला अरवल्ली गुजरात व धिरज भाई पिता सोमा भाई परमार मीणा निवासी भाटकोडा पुलिस थाना मेघरेज जिला अरवल्ली गुजरात के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान शेष है। अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर यह नोट अंकित किया जावें कि पत्रावली सुरक्षित रखी जावें, पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावें।

(मनीष कुमार जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर

15. निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित सुनाया गया।

(मनीष कुमार जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर